बिहार सरकार

योजना एवं विकास

विभाx

अधिसूचनk

अधिसूचना संख्याः- यो01/स्था012-03/2011 3247/यो0वि0,पटना, दिनांक 24.06 2016

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत शक्तियों का

प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल योजना एवं विकास विभाग के अधीन बिहार स्थानीय

क्षेत्र अभियंत्रण सेवा का गठन, उसमें भर्ती एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नांकित

नियमावली बनाते है:-

बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन सेवा नियमावली, 2016

1- संक्ष्िाप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली ''बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016'' dgyk;sxkA

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत होगी।

2- परिभाषाएँ-इस नियमावली में, जब तक कि सदंर्भ में अन्यथा अपेक्ष्िात न हो:-

(1) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016

(2) ''सेवा'' से अभिप्रेत है बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा;

(3) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है योजना योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक

नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में कार्यरत बिहार स्थानीय

क्षेत्र अभियंत्रण सेवा में नियुक्त/प्रोन्नत अभियंता;

(4) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;

(5) ‘‘आयोग’’ से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(6) ‘‘नियुक्ति प्राधिकार’’ से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(7) ‘‘राज्यपाल’’ से अभिप्रेत है, बिहार के राज्यपाल;

(8) ‘‘कोटि’’ से अभिप्रेत है, नियम-3 में विनिर्दिष्ट कोटि;

(9) ‘‘नियंत्री प्राधिकार’’ से अभिप्रेत है, प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग;

(10) ‘‘विभाग’’ से अभिप्रेत है, योजना एवं विकास विभाग ;

(11) ‘‘नियत तिथि’’ से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि ;

3- lsok@loaxZ dh lajpuk &

(1) इस सेवा के कोटि पद तथा पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार होंगे:-

Ø0la0	कोटि का नाम	पद सोपान	lsok@in dk oxhZdj.k	Lrj
1	2	3	4	5
1	lgk;d vfHk;ark	मूल कोटि	lewg ^[k*	jktif=r
2	dk;Zikyd vfHk;ark	प्रथम प्रोन्नत पद	lewg ^d*	jktif=r
3	v/kh{k.k vfHk;ark	द्वितीय प्रोन्नत in	lewg ^d*	jktif=r
4	eq[; vfHk;ark	तृतीय प्रोन्नत in	lewg ^d*	jktif=r
5	अभियंता प्रमुख	चतुर्थ प्रोन्नत पद	lewg ^d*	jktif=r

2. (i) सेवा के किसी पद के वेतन संरचना का राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वेतन

पुनरीक्षण/संशोधन में स्वतः वेतन पुरीक्ष्िात/संशोधित समझा जायेगा।

(ii) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटि में नियुक्त/प्रतिनियुक्ति के

आधार पर समायोजित कार्यरत व्यक्ति इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

(iii) इस संवर्ग के सभी पद राज्य स्तरीय होंगे।

4- संवर्ग बल:- सेवा बल के प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या

उतनी होगी जितनी नियत तिथि तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की गयी

हो तथा उसके बाद की तिथियों से आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा समय-समय पर

Lohd`r vFkok vo/kkfjr dh tk;A

5- पद सृजन:- सेवा में किसी कोटि के अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन

vko';drkuqlkj jkT; ljdkj }kjk fd;k tk ldsxkA

6- शैक्षण्िाक अर्हता:-

(क) सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम शैक्षण्िाक योग्यता

अभियंत्रण (सिविल) की डिग्री अथवा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान

से समय-समय पर घोषित समतुल्य डिग्री होगी।

(ख) उम्र सीमा:- भर्ती के लिये न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित की tk;A

(ग) रिक्ति की अधियाचना: नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की अधियाचना की गणना कर 30 अप्रैल तक आयोग को भेज देगा।

7- आरक्षण: नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आरक्षण संबंधी नीति/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

8- fu;qfDr %

(क) अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियंता (मूल कोटि) के कुल स्वीकृत बल का 62 प्रतिशत पद पर सीधी भर्ती आयोग की अनुश्ंासा पर मेघा सूची के सफल उम्मीदवारों से की जायेगी। आयोग की अनुशंसित सूची (पैनल) विभाग में प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगा।

(ख) मूल कोटि के 10 प्रतिशत पद कनीय अभियंता, जिनकी नियमित न्यूनतम सेवा पांच वर्ष पूरी हो चूकी हों तथा इसके साथ ए0एम0आई0ई0 (AMIE) या समकक्ष अभियंत्रण स्नातक की डिग्री प्राप्त हो, से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(ग) मूल कोटि के 28 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारी कनीय अभियंता से प्रोन्नति द्वारा भरे tk;saxsA

9- ojh;rk %

(क) नियत तिथि से पूर्व किसी कोटि में नियुक्त सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता, ml frfFk ls iwoZ ;Fkk vo/kkfjr mudh ikjLifjd ojh;rk ds vuqlkj] fofu;fer dh जायेगी। परन्तु यदि सेवा के ऐसे किसी सदस्य या सदस्यों की वरीयता उस तिथि के पूर्व विशिष्टतः अवधारित नहीं की गयी हो तो उनकी वरीयता का निर्धारण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

(ख) किसी कोटि में स्वतः सम्मिलित सभी कर्मी उन सभी कर्मियों से वरीय होंगे जिनकी उस कोटि में नियुक्ति नियत तिथि के बाद की किसी तिथि से हुई हो।

(ग) आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियंता की आपसी वरीयता आयोग के परीक्षाफल में अवधारित योग्यता क्रम के अनुसार होगी। किसी वर्ष के सफल उम्मीदवार यदि भिन्न-भिन्न तिथियों को नियुक्त किये जाते है तो उसकी वरीयता उस वर्ष के सफल उम्मीदवारों के मेघा सूची के योग्यता क्रम के आधार पर निर्धारित की tk;sxhA

(घ) उच्चतर पदों पर वरीयता निर्धारण प्रोन्नति के फलस्वरूप ठीक उसके निचले पदों की वरीयता क्रमानुसार होगी।

(ड.) जिन अभ्यर्थियों की जिनकी अनुशंसा आयोग से प्राप्त हुई हो किन्तु उनका मेधाक्रम संसूचित नहीं हो, आपसी वरीयता शैक्षण्िाक योग्यता के आधार पर और यदि शैक्षण्िाक योग्यता समान हो तो उम्र की तिथि के आधार पर, निर्धारित की जायेगी किन्तु एक ही समव्यवहार और एक ही वर्ष के दौरान अनुशंसित/नियुक्त मेधा क्रमांक वाले अभ्यर्थियों के अंत में इनकी वरीयता निर्धारित होगी।

(च) विभाग द्वारा प्रत्येक कोटि के पदों का वरीयता कोटि क्रमांक सूची अलग-अलग la/kkfjr dh tk;sxhA

10. परीक्ष्यमान अवधि: सहायक अभियंता के पद पर योगदान (नियुक्ति) की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परीक्ष्यमान की अवधि दो वर्षों की होगी। परीक्ष्यमान की अवधि में सेवा, कार्यकलाप संतोषजनक रहने तथा विभागीय दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करने पर ही उनकी सेवा सम्पुष्ट की जायेगी। परीक्ष्यमान अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर किसी सहायक अभियंता के परीक्ष्यमान अवधि को महत्तम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। तथापित

परीक्ष्यमान अवधि में भी कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहने या गंभीर आरोप रहने पर सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।

11- विभागीय परीक्षा की अनिवार्यता:

(i) सीधे नियुक्त सदस्य को राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित प्रासंगिक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा।

(ii) सीधे नियुक्त सदस्य को आगे की प्रोन्नति पर विचार तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वे राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित प्रासंगिक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त ugha dj ysrs gSA

(iii) विभागीय परीक्षा में उर्त्तीर्णता की मान्यता-विभागीय परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन को ही उर्त्तीर्णता प्राप्त करने पर परीक्षोत्तीर्ण होने की तिथि मानी जायेगी।

12. विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम: विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद की बिहार केन्द्रीय ijh{kk lfefr }kjk lapkfyr dh tk;sxhA

(1) परीक्षा के पाठ्यक्रम निम्नांकित होंगे। हिन्दी के लिखित एवं मौखिक परीक्षा में उत्तीर्णता एक ही समय में प्राप्त करना होगा।

Øekad	fo"k;	iw.kkZad	mrhZ.kkZad	le;
1	2	3	4	5
(क) fgUnh	fyf[kr ijh{kk	200	120	3 ?kaVs
	(क) टिप्पण (ख) प्रारूपण	50 50 80		
	अग्रेंजी 40 और अंग्रेजी से हिन्दी 40)	20		
	लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले पदाधिकारी निम्न-स्तर से और 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले पदाधिकारी उच्च स्तर से उत्तीर्ण घोषित किये जायेंगे।			
(ख) fgUnh	(मौखिक परीक्षा)	100	50	jktLo i"kZn }kjk

	(क) सामान्य विषय पर okrkZ (ख) सामान्यतः व्यवहार में आने वाले तकनीकी शब्दों और वाक्यांशों की tkudkjh dh tkapA	40 30 30		

(2) लेखा:- विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद की केन्द्रीय परीक्षा समति द्वारा संचालित की जायेगी, जिसका पाठ्यक्रम निम्नांकित होंगे। (क) लेखा (पुस्तक रहित) (ख) लेखा (पुस्तक सहित) दोनों पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना होगा।

Øekad	fo"k;	iw.kkZad	mÙkh.kkZad	
1	2	3	4	
प्रथम पत्र	लेखा (पुस्तक रहित)	100	60	1
	(i) An Introduction to Indian Govt. Accounts and Audit. (Second Edition) I authority of the Auditor General of India. Chapter 6,7,8,9 (Paragraphs 138 to 16 10, 11, 13 to 19 and 27).			
f}rh; i=	लेखा (पुस्तक सहित)	100	60	1
	(i) The Bihar Service Code Chapters VI (Section I to VII only) and VII. (ii) Bihar Treasury Code, Vol.1 (ii) Bihar T.A Rules. (iv) Bihar Pension Rules, Chapter III, VIII (Section I), X, XI (Section I and II) a (v) Bihar Financial Rules.			

(3) विधि:-

Øekad	fo"k;	iw.kkZad	mÙkh.kkZad	le;
1	2	3	4	5
विधि (Method)	लिखित (पुस्तक सहित)	200	120	3 ?kaVs

	(i) P.W.D code (ii) Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005) (iii) Bihar Right to Information Rules, 2006 (Amendment) Rules, 2009 (iv) Bihar Right to Public Service Act, 2011 (v) बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (vi) Bihar Government Servent Conduct Rules, 1976 (Amendment) Rules, 2011 (vii) बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (तृतीय संशोधन, 2010 सहित)

13 सेवा सम्पष्टि:- परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को संत
करने तथा विभागीय परीक्षा उर्तीणता प्राप्त होने पर सेवा सम्पुष्ट किया जायेगा। 14- वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का संधारण: सेवा के सदस्यों की प्रोन्नति हेतु उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाॅ दो प्रतियों में अभिलिखित होगी, जिसे नियंत्री विभाग को la/kkj.k gsrq miyC/k djk;h tk;sxhA

15- प्रोन्नति का पद सोपान निम्नुसार होगा:

(क) सहायक अभियंता पद से कार्यपालक अभियंता के पद पर।

(ख) कार्यपालक अभियंता पद से अधीक्षण अभियंता के पद पर।

(ग) अधीक्षण अभियंता पद से मुख्य अभियंता के पद पर।

(घ) मुख्य अभियंता पद से अभियंता प्रमुख के पद पर।

16- प्रोन्नति के लिए चयन का मापदण्ड:- प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदण्ड वरीयता-सह-योग्यता का सिद्धान्त होगा।

17- कालावधि:- उच्चतर किसी कोटि में प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा।

18- प्रोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया: प्रोन्नति के लिए चयन इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा। समिति विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, कालावधि, आरोप, कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं स्वच्छता प्रमाण पत्रों आदि के पूर्ण समीक्षोपरांत उपर्युक्त सदस्यों की अद्यतन वरीयता कोटि क्रमांक सूची के वरीयता क्रमानुसार उपलब्ध रिक्तियों के दो गुने की सूची पर विचार करेगी।

समिति की अनुशंसा सूची प्रोन्नति के निमित एक वर्ष तक मान्य होगा।

19- विभागीय प्रोन्नति समिति: सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता एवं मुख्य अभियंता से अभियंता प्रमुख के पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

20- प्रशासनिक नियंत्रण:

(क) सेवा के सभी कोटि के पदों का प्रशासी विभाग, प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग होगा, जो सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(ख) सेवा के नये पदों के पद सृजन/सभी कोटि के पदों पर नियुक्ति /सभी कोटि के पदांे पर प्रोन्नति/स्थानांतरण/पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति आदि के मामले में सरकार स्तर से अधिसूचना में संधारित किये जायेगे एवं इसके लिए विभाग सक्षम प्राधिकार होंगे।

21- प्रकीर्ण विषय:-

इस नियमावली के द्वारा की गयी व्यवस्था के सिवाय सेवा की किसी कोटि में नियुक्त व्यक्ति का वेतन (जिसके अंतर्गत वेतन का निर्धारण भी है), भत्ते, छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें, तत्समय उस प्रयोजनार्थ प्रवृत राज्य के सामान्य नियमों या आदेशों द्वारा विनियमित होगी। अवसरानुकूल इस नियमावली के विभिन्न नियमों के अंतर्गत fofu;eu dk fuekZ.k fd;k tk ldsxkA

22- fujlu ,oa O;ko`fr %&

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा के संबंध में पूर्व के सभी नियम, परिपत्र और निर्णय एतद् द्वारा निरसित किये जाते है। ऐसा निरसन के होते हुए भी पूर्व के नियमों, परिपत्रों और निर्णय का प्रयोग करते हुए की गयी कोई बात या की गयी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गयी मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस तिथि को लागू थी जब ऐसी ckr ;k dkjZokbZ dh x;h FkhA

23- नियमों का शिथिलीकरण:-

यदि सरकार का यह समाधान हो जाये कि संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों से संबंधित किसी नियम को लागू करने से किसी विशेष मामले में अनुचित कष्ट होता है, तो वह उस मामलें में प्रयोज्य और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह

न्यायोचित तथा साम्योचित रीति से मामले का निपटारा करने के लिए आवश्यक समझे vfHk;qDr ;k f'kfFky dj ldrh gSA

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डाॅ0 दीपक प्रसाद)
प्रधान सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

Kkikad% यो01/स्था012-14/2013 3247 /यो0वि0,पटना,दिनांक 24.06 2016
प्रतिलिपि- वित्त विभाग, (ई0 गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार
Kkikad% स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016 की दो प्रतियों हार्ड
प्रतिलिपि- काॅपी एंव एक सी0डी0 सहित राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशानार्थ प्रेषित। मुद्िरत अधिसूचना की 500 प्रतियाॅ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को शीघ्र miyC/k djk;k tk;A

प्रधान सचिव

प्रधान सचिव

Kkikad% यो01/स्था012-14/2013 3247 /यो0वि0,पटना,दिनांक 24.06 2016
प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वैरैया भवन, बेली रोड, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र

प्रधान सचिव

Kkikad% यो01/स्था012-14/2013 3247 /यो0वि0,पटना,दिनांक 24.06
प्रतिलिपि सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभ्ीा प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

Bihar Government
Planning & Development Department
Notification

No. Yo1/Estt.12-03/2011 **3247** Patna, dated **24-06-2016**

In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution of India, The Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the recruitment and conditions of service of Assistant Engineers of Local Area Engineering Organisation:

Bihar Local Area Engineering Service Rule, 2016

1. Short title, extent and commencement :-
   i. This Rules may be called as "Bihar Local Area Engineering Service (Recruitment and Service conditions) Rules, 2016"
   ii. It shall extend to whole of the State of Bihar.
   iii. It shall come into force with immediate effect.
2. Definitions:- In these Rules, unless the context otherwise requires:-
   i. Rules means "Bihar Local Area Engineering Service (Recruitment and Service conditions) Rules, 2016."
   ii. Service means Bihar Local Area Engineering Service
   iii. "Member" means a person appointed/ posted on deputation or on promotion in the cadres and includes all the persons appointed /posted on deputation in Work Division and circle of Bihar Local Area Engineering Organisation or on promotion in the cadres before commencement of these Rules.
   iv. "State Government" means the Government of Bihar.
   v. "Commission" means the Bihar Public Service Commission;
   vi. "Appointing Authority" means Governer of Bihar.
   vii. "Governer" means Governer of Bihar.
   viii. "Grade" means Grade as specified in Rule-3
   ix. "Controlling Authority" means Principal Secretary/Secretary of Planning & Development Department.
   x. "Department" means Planning and Development Department.
   xi. "Fixed day" means the date of commencement of these Rules;
3. Service/Cadre Structure-

(1) Clasification of categories and posts of this service shall be according to the following:

Sl. No.	Name of grades	Gradation of post	Classification of post	Level
1	2	3	4	5
(a)	Assistant Engineer	Basic grade	Group 'B'	Gazetted
(b)	Executive Engineer	First Promotion level	Group 'A'	Gazetted
(c)	Superintending Engineer	Second Promotion Level	Group 'A'	Gazetted
(d)	Chief Engineer	Third Promotion Level	Group 'A'	Gazetted
(e)	Engineer in Chief	Fourth promotion level	Group 'A'	Gazetted

(2) i. Pay Scale of the cadre posts/pay structure shall be stand revised as and when revised by the Government from time to time.

ii. Persons appointed/deputed in the grade before commencement of this rule shall be included in the cadre automatically.

iii. All post in this cadre shall be of State level.

4. Cadre strength-The cadre strength of each grade shall be total no of posts created at the time of framing of this Rule as well as created by the Government from time to time after the creation of this rule.

5. Creation of post -The additional post of any grade in the cadre may be created by Department from time to time.

6. Educational Qualification-

i. The minimum educational qualification shall be degree in Civil Engineering or equi

ii. Age Limitation - Minimum age for recruitment shall be 21 years and the maximum age will be the same as determined by the State Government (General Adminstration Department) from time to time.

iii. Procedure of Recruitment.- (1) The appointing authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year shall send requisition to the Commission latest by 30th April.

7. Reservation - Provision of reservation/roaster in recruitment as well as in promotion as notified by the State Government from time to time shall be necessary.

8. Recruitment:-

i. 62% posts of Assistant Engineer (basic grade) of the Service shall be filled up by the competitive examiniation conducted by the Commission through direct recruitment. The validity of the merit list shall be for one year w.e.f. the date of receipt of recommendation.

ii. 10% post of Assistant Engineer (basic grade) of the Service shall be filled up by promotion from Junior Engineers who have completed 5 years of regular Service and who posses AMIE degree or equivalent Engineering degree.

iii. 28% post shall be filled up from junior Engineer holding Diploma degree.

9. Seniority:-

i. Intra seniority of the member of the cadre shall be according to their merit position as determined before the notification of these Rules and shall remain unchanged. Provided that the person whose seniority has not been decided before shall be determined by the cadre controlling authority.

ii. Provided also that the person adjusted in the respective grade shall be senior to those who have been appointed after notifications of this Rule.

iii. Provided also that Inter seniority of the member of the cadre shall be according to their merit position determined by the commission. In any year if the member are appointed at different date, then their seniority shall be maintained on the basis of date of appointment and position in seniority list.

iv. Provided also that determination of seniority after the promotion in any grade shall be decided through the seniority of the Lower grade. Seniority of the each grade shall be maintained seperately.

v. Provided that the person is appointed through commission but his merit position is not communicated, his seniority shall be decided by Educational Qualification & if Educational Qualifiation is same, then on the basis of his date of Birth.

vi. Department shall maintain seniority list of each category of post seperately

10. Probation Period:- Probation Period shall be decided from the date of recruitment (joining) on the post of Assistant Engineer. The period of probation shall be for two year. Probationer shall be confirmed after completion of satisfactory probation period. If the probation, period is not satisfactory, it can be extended for one year in special circumstances by the appointing authority. If the service even then is not found satisfactory or there is serious complaint against the person in the probation period, the person concerned shall be removed from the service.

11. Departmental Examination:-

(i) Directly recruited member shall be entitled for annual pay increament only when they pass Departmental Examination conducted by the Board of Revenue.

(ii) Promotion for directly recruited member shall not be considered till they pass Departmental Examination conducted by the Board of Revenue.

(iii) The date of passing the examination will be next date of end day of departmental examination.

12. Departmental examination curriculam:- Departmental examination shall be conducted by Central Examination Committee of Board of Revenue

(i) Curriculam of examination will as follows:-

Member will have to pass written and oral examination at one time in order to be declared successful.

Serial no.	Subject	थ्नसस उंतो	उंतो	Time
1	2	3	4	5
(A) Hindi	(Written Exam.)	200	120	3 Hours
	(a) Noting (b) Drafting (c) Translation (From hindi to english 40 and from english to hindi 40)	50 50 80 20		
	ब्वदकपकंजमे ेमबनतपदह वित 50ः ंदक ंइवअम उंतो ूपसस इम कमबसंतमक जव चंेे ंज सवूमत संअमस ंदक ेमबनतपदह 60ः ंदक			
(B) Hindi	(Oral Exam.)	100	50	Prescribed by board of revenue
	(a) Talk on general subject (b) Test of knowledge of general and technical words and sentenses in ordinary uses (c) Oral reading of hindi and english transcript and their verbal translation in	40 30 30		

(ii) Accounts :- Departmental Examination shall be conducted by Central Examination committee of Revenue Board. The Curriculam of accounts would be as follows. It will इम दमबमेेंतल जव चंेे पद इवजी ;पद्ध ।बबवनदजे ूपजीवनज इववो ;पपद्ध ।बबवनदजे ूपजी इववोण्

Serial no.	Subject	थ्नसस उंतो	उंतो	Time
1	2	3	4	5
First paper	Account (with book)	100	60	1.30 Hours
	(i) An Introduction to Indian Govt, Accounts and audit. (Second Edition) published in 1940 under the authourity of the Auditor General of India. Chapter 6,7,8,9 (Paragraphs 138 to 164, 170, 179, 187 and 192 only 10,11,13 to 19 and 27.) (ii) The Bihar Treasury code, Vol. 1 & Chapter I to IV and chapter V (Second I, II and III only)			
Second Paper	Written (with book)	100	60	1.30 Hours

	(i) The Bihar Service Code Chapters VI (Section I to VII only) and VII. (ii) Bihar Treasury code, Vol. 1\ (iii) Bihar T.A.Rules. (iv) Bihar Pension Rules, Chapter III,VIII (Section1), X,XI (Section I and II) and XII.

(III) Law :-

Method	Written (with book)	200	120	3 Hours
	(i) P.W.D. Code (ii) Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005) (iii) Bihar Right to Information Rules; 2006 (Amendment) Rules, 2009 (iv) Bihar Right to Public Service Act, 2011			
	(v) Bihar Special Court act, 2009 (vi) Bihar Government Servent Conduct Rules, 1976 (Amendment) Rules, 2011 (vii) Bihar civil services (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 with third amendment, 2010. (viii) Various construction scheme of Central and State Government			

13. **Confirmation:-** A probationer shall be confirmed after completion of satisfactory probation period and passing of the departmental examination.

14. **डंपदजमदंदबम व िजीम ।ददनंस ब्वदपिकमदजपंस त्मउंतोरू.** Annual Confidential Report of the member of the cadre shall be written in two copies which shall be maintained at cadre controlling department level.

15. **Promotion in the cadre shall be in the follwing order:-**

i. From Assistant Engineer to Executive Engineer;
ii. From Executive Engineer to Superitending Engineer; iii. From Superitending Engineer to Chief Engineer; iv. From Chief Engineer to Engineer in Chief.

16. Criteria for Selection of promotion:- Promotion in the cadre shall be decided on the basis of principle of merit cum seniority.

17. **kalavdhi:-** For promotion in higher post kalavdhi as decided by General Administrative Department shall be followed.

18. Selection process for Promotion :- All Promotion in this Cadre shall be determined on the basis of recommendation of Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall consider the panel of seniority list which will be just double of existing vacancy. Recommendation of Committee for promotion shall be valid till one year.

19. Department Promotion Committee :- For Promotion from Assistant Engineer to Executive Engineer and from Chief Engineer to Engineer-in Chief, the Departmental promotion committee shall be constituted by Department.

20. Administrative Control on the Members of the Cadre :-

i. Administrative Department for all grades of posts shall be Principal Secretary/ Secretary, Planning & Development Department.

ii. Creation of New posts/appointment/Confirmation/Promotion in all grades/transfer/ posting and deputation etc in the cadre shall be maintained by the Government notification at the department and Department shall be the competent Authority for these orders.

21. Miscellaneous:- Notwithstanding any thing contained contrary to this Rule in respect to persons appointed regarding Pay (including pay fixation) Allowances, leave,
Pension and other condition of the services, the provision of this Rules shall have over riding effect.

The Department may make regulations as necessary to give effect to the provision of these Rule.

22. Repeal and Savings:- The previous Rules, Circulars and decisions in respect of Local Area Engineering Organisation are hereby repealed. Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in the exercise of any powers Conferred by or under said Rules, circulars and decision shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Rule were inforce on the day on which such thing or action was done or taken.

23. Power to remove difficulties :- The Government may from time to time issue such general or special direction as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these Rules and not in consistent with the provisions of these Rules.

By the order of the Governor of Bihar

(Dr. Deepak Prasad)
Principal Secretary,
Planning and Development
Department
Bihar. Patna